

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि० वि०
वाराणसी

पत्रांक. 2135 | ICB

दिनांक 18.05.22

सेवा में,

प्रबन्धक
प्रगति पब्लिक स्कूल
चितईपुर, वाराणसी

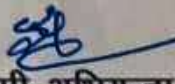
विषय-विद्यालय के कक्षा 1 से 12 तक के नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक P P S /2022/ 0069 दिनांक 25/04/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रगति पब्लिक स्कूल चितईपुर, वाराणसी का कक्षा 1 से 12 तक की जाँच सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता द्वारा जाँच किया गया, उक्त विद्यालय नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उपयुक्त पाया गया ।

संलग्नक- चेक लिस्ट


अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि० वि०
वाराणसी 

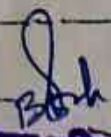
विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी०बी०एस०ई० / आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क. स.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	6100 वर्ग मीटर
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी है?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ढंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (ऊँचाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ

अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
राजस्थान

17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First aid Box) स्थापित है?	हाँ


अवर अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
 वाराणसी


सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड लो० नि० विभाग
 वाराणसी